कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बालोद (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/4262/एस.डब्ल्यू./2020 बालोद, दिनांक 02.07.2020

चूंकि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्धस्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। जिले के संदिग्ध मरीजों का सैंपल जॉच हेतु प्रेषित किया गया था। जिसमें नगरपालिका परिषद बालोद जिला बालोद के मरीज का जांच रिपोर्ट पाजीटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये **जवाहर पारा बालोद** के नीचे वर्णित चौहद्दी को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तथा उक्त कन्टेनमेंट जोन के अतिरिक्त 03 कि.मी. की परिधि को बफर जोन घोषित किया जाता है :–

पूर्व दिशा से पश्चिम – डॉ. क्लाडियस क्लिनिक को छोड़कर उधोयक के दुकान तक।

उत्तर से दक्षिण – रिठिया तालाब पार से जवाहर पारा मार्ग तक।

02/कन्टेनमेंट जोन में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :–

1. उक्त चिन्हाकिंत क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
2. प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जायेगी।
3. कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
4. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा।
5. कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जावेगी।
6. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सेम्पल इत्यादि जॉच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

03/कन्टेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाते है :–

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	सौंपे गये कार्य
1	श्री बी.के. गोठी	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग क्र.01 बालोद	केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग
2	श्रीमती रश्मि वर्मा	तहसीलदार बालोद	कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग
3	श्री मुरलीधर शर्मा	मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बालोद	प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनेटाईजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना
4	डॉ.शिरिष सोनी	खण्ड चिकित्सा अधिकारी बालोद	स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई.किट इत्यादि उपलब्ध कराना एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन
5	श्रीमती सीमा सिंह	परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बालोद	घरों का एक्टिव सर्विलांस
6	श्री बसंत बाघ	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बालोद	खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था

उपरोक्त समस्त अधिकारियो/कर्मचारियों के साथ समन्वय बनाकर उक्त समस्त कार्यो का निर्वहन करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

2/7/2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला बालोद (छ.ग.)

40 |SW/Deepak/Balod/2020

Scanned with CamScanner

पृष्ठ क्रमांक/4262/एस.डब्ल्यू/2020 बालोद, दिनांक 02 जुलाई 2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन गृह विभाग, की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज दुर्ग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक जिला–बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बालोद/गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद को सूचनार्थ प्रेषित।
11. जिला सूचना अधिकारी बालोद को शासन द्वारा निर्धारित वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।
12. उपसंचालक, जनसम्पर्क बालोद को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।
13. तहसीलदार, बालोद/गुरूर/गुण्डरदेही/डौण्डी/डौण्डीलोहारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बालोद/गुरूर/गुण्डरदेही/डौण्डी/डौण्डीलोहारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, न.पा.प. बालोद/दल्लीराजहरा एवं न.पं गुरूर/गुण्डरदेही/अर्जुन्दा/डौण्डीलोहारा/डौण्डी/चिखलाकसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. स्टेनो टू–कलेक्टर जिला बालोद को सूचनार्थ।
17. सर्व संबंधितों को पालनार्थ प्रेषित।
18. कार्यालयीन प्रति।

2/7/2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–बालोद (छ.ग.)

Scanned with CamScanner